

## **\*प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 19.09.2020 जनपद देवरिया\***

दिनांक 18.09.2020 को पुलिस अधीक्षक देवरिया डा0 श्रीपति मिश्र द्वारा कच्ची शराब के निष्कर्षण एवं विक्रय पर अंकुश लगाने व वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु उनके विरुद्ध जनपद देवरिया मे अभियान चलाया गया जिसके क्रम में जनपदीय पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही किया गया जिसके परिप्रेक्ष्य में-

### **\*01.आबकारी अधिनियम के अंतर्गत:-\***

➡थाना खामपार पुलिस द्वारा 02 अभियुक्त **01.विकास सिंह पुत्र आनन्द सिंह सा0 कुसौधी थाना मीरगंज गोपालगंज बिहार** **02.महावीर पुत्र शिवजी गुप्ता सा0 महीचा थाना मीरगंज गोपालगंज बिहार** गिरफ्तार कर उसके कब्जे से मो0सा0 डीलक्स नं0 बीआर-28, ई-9421 की डिग्गी से 68 शीशी 8पीएम फूर्टी अंग्रेजी शराब बरामद कर चालान न्यायालय करते हुए आवश्यक विधिक कार्यवाही किया गया। इसके अतिरिक्त 01 अभियुक्त **01.मुकेश यादव पुत्र रामदास सा0 मिश्रौली थाना मीरगंज गोपालगंज बिहार** गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 40 शीशी बण्टी बबली देशी शराब बरामद कर चालान न्यायालय करते हुए आवश्यक विधिक कार्यवाही किया गया।

➡थाना बनकटा पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त **01.विकास कुमार पुत्र राजमंगल सा0 सेमरिया थाना नौतन सिवान बिहार** गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 45 शीशी बण्टी बबली देशी शराब बरामद कर चालान न्यायालय करते हुए आवश्यक विधिक कार्यवाही किया गया। इसके अतिरिक्त 02 अभियुक्त **01.राकेश नट पुत्र मुन्ना नट** **02.बलिस्टर यादव पुत्र साहब सा0 पोरई थाना दरियापुर सारन छपरा बिहार** गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 टेम्पो नं0 यूपी-04, पीए-5285 में से 22 पैकेट से कुल 264 केन किंगफिशर अंग्रेजी शराब बरामद कर चालान न्यायालय करते हुए आवश्यक विधिक कार्यवाही किया गया।

### **\*02. निरोधात्मक कार्यवाही-\***

दिनांक 18.09.2020 को देवरिया पुलिस द्वारा चलाये गये अभियान में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा निरोधात्मक कार्यवाही की गयी, जिनका विवरण निम्नवत है-

➡ जनपदीय पुलिस द्वारा 151 सीआरपीसी के अन्तर्गत 31 व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही किया गया।

### **\*03. जनपदीय पुलिस द्वारा मोटर वाहन अधिनियम में कार्यवाही-\***

दिनांक 18.09.2020 को जनपदीय पुलिस द्वारा शातिर अपराधियों संदिग्ध व्यक्तियों, संदिग्ध वाहनों के विरुद्ध चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसके परिप्रेक्ष्य में जनपद के विभिन्न थानों की पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही का विवरण निम्नवत है-

➡ वाहन चेकिंग के दौरान 240 वाहनों से 184400 रूपये शमन शुल्क (ई-चालान) किया गया।

